173/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 173/2016 अनवानी श्री गुरमीत टक्कर एडवाकेट निवासी 204 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21—03—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरमीत टक्कर एड़वोकेट उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरमीत टक्कर एड़वोकेट ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः—

> सदर बाजार श्रीगंगानगर में दुकान सं0 26 से 45 के बीच की दुकानो आदि पर श्रीमान अति. जिला कलक्टर/अति. जिला मजि. महोदय/संबंधित जिला प्रशासन श्रीगंगानगर के द्वारा पटाखो के स्थाई या अस्थाई लाईसेन्स/अनुज्ञापत्रो से संबंधित सूचनांए व प्रमाणित दस्तावेजात निम्न वांछित हैः—
>
> 1. उक्त वर्णित क्षेत्र मे सन् 2005 में जिन—जिन व्यक्तियों/दुकानदारों आदि के द्वारा पटाखों के स्थाई या अस्थाई लाईसेंस के लिये अपलाई किया गया—प्रत्येक के नाम व पते सहित सूची देवे।
> 2. उक्त वर्णित क्षेत्र में सन् 2005 मे कितने व्यक्तियों/दुकानदारों को स्थाई या अस्थाई लाईसेंस जारी कये गये, उक्त जारी प्रत्येंक लाईसेंस जारी की प्रति मय सूची देवे।
> 3. उक्त वर्णित क्षेत्र में सन् 2005 मे कितने व्यक्तियों/दुकानदारों को स्थाई या अस्थाई लाईसेंस जारी कये गये, ऐसे लाईसेंस जारी करने से पूर्व, दमकल विभाग, पुलिस विभाग के द्वारा संबधित को लाईसेंस देने बाबत कोई रिपोर्ट की गई हो तो उसकी भी, प्रत्येक रिपोर्ट की प्रति देवे।
> 4. उक्त वर्णित क्षेत्र में सन् 2005 मे कितने व्यक्तियों/दुकानदारों को स्थाई या अस्थाई लाईसेंस जारी के प्रार्थना पत्र खारिज किये गये, सूची देवें। उक्त प्रत्येक प्रार्थना पत्र खारिज की प्रति एवं इसके साथ दमकल विभाग, पुलिस विभाग के द्वारा संबधित को लाईसेंस न देने बाबत कोई रिपोर्ट की गई हो तो उसकी भी, प्रत्येक की प्रति देवे।
> 5. उक्त वर्णित क्षेत्र में आज माह सितम्बर 2016 तक कितने व्यक्तियों/दुकानदारों के पास स्थाई या अस्थाई लाईसेंस है सूची देवे।
> 6. उक्त वर्णित क्षेत्र में आज माह सितम्बर 2016 तक कितने व्यक्तियों/दुकानदारों के पास स्थाई या अस्थाई लाईसेंस है, उस प्रत्येक लाईसेंस धारक की दमकल विभाग, पुलिस विभाग के द्वारा संबधित को लाईसेंस देने से पूर्व कोई रिपोर्ट की गई हो तो उस प्रत्येक रिपोर्ट की प्रति देवे।
> 7. लोक सूचना अधिकारी के नाम व पते की सूचना देवें एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम व पते की सूचना देवें।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2016 के द्वारा चाही गई 7 बिन्दुओ की सूचना प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध 250रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति अधिरोपित कर उसे दिलवाई जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

173/2016
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपील पत्र एवं आवेदन पत्र की प्रतियां पत्र संख्या 2050 दिनांक 30.11.2016 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर प्रतिवेदन एवं संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था। तत्पश्चात स्मरण पत्र दिनांक 04.01.2017, 10.02.2017 लिखने उपरान्त भी प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा न तो अपना कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और न ही अभिलेख प्रस्तुत किया है और न ही उनकी तरफ से कोई सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ है और न ही अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए उसे उपलब्ध करवाई गई है और न ही उनके बारे में कोई लिखित उत्तर दिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के तहत आवेदन पत्र का 30 दिवस के भीतर निस्तारण किया जाना आवश्यक है किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में कोई निर्णय लिया गया हो, ऐसा प्रतीत नही होता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के संबंध में निर्णय लिया जावे और देय योग्य सूचनांए अपीलार्थी को निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे और यह भी आदेश दिया जाता है कि भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्रो का निर्धारित अवधि में ही निस्तारण किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

686-87
30-3-17

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानो राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर